राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

परिवाद संख्या : 13/01/2565 दिनांक : 15.7.2013

एकलपीठ

समक्ष : माननीय सदस्य श्री एच.आर. कुड़ी

राजस्थान पत्रिका दिनांक 17.6.2013 में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षा परिणाम से इस वर्ष दो लाख विद्यार्थी खुश नहीं है। इन असन्तुष्ट विद्यार्थियों में से डेढ़ लाख विद्यार्थियों ने संवीक्षा आवेदन, बोर्ड में प्रस्तुत किये है। उक्त समाचार के आधार पर आयोग ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन किया।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह अवगत करवाया है कि वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में परीक्षार्थियों की संख्या में 3,06,633 की वृद्धि हुई है। संवीक्षा व उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने के आवेदन पत्रों में वर्ष 2012 की तुलना में, वर्ष 2013 में मात्र 2565 आवेदन-पत्रों की वृद्धि हुई है, जो इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण है। वृद्धि होने का यह भी कारण रहा है कि बोर्ड ने संवीक्षा/फोटो प्रति के आवेदन पत्र ई-मित्र के माध्यम से स्वीकार किये है, जिससे गांवों में भी यह सुविधा प्राप्त हुई है। बोर्ड ने इस नई प्रक्रिया का समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार व प्रसार किया है। अधिक आवेदन, परीक्षा परिणाम से असंन्तुष्ट होने के कारण नहीं वरन् बोर्ड द्वारा पूर्ण पारदर्शिता, व्यापक प्रचार-प्रसार व दुरस्थ स्थानों पर आवेदन की सुविधा प्रदान करने के कारण है। 3 लाख परीक्षार्थियों की वृद्धि के बावजूद आवेदनों की अधिक वृद्धि नहीं हुई है। समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार भ्रामक व तथ्यहीन है। गत वर्ष की तुलना में परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई है। बोर्ड ने पत्र में वर्ष 2012 व 2013 के परिणाम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है।

बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणामों के बारे में दिन-प्रतिदिन आयोग में प्राप्त परिवाद एवं समाचारों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया में कही ना कही दोष है। आयोग में इस प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त हुई है कि दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण कई छात्र अवसाद में आ गये है तथा कई छात्रों ने कुछ समय के लिये खाना-पीना छोड़ दिया है। अतः राज्य सरकार शिक्षाविदों की समिति गठित कर, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रणाली का पुनः विश्लेषण करवाकर, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें जिससे कि परीक्षार्थियों के साथ पूर्णरूप से न्याय हो सके। इस आदेश की प्रति प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

उक्तानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है।

(एच.आर. कुड़ी)

अध्यक्ष